न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27/2020 (राज0 गुण्डा अधि0) राजस्थान सरकार बनाम सुरेशचन्द
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00044)

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल...

बनाम

सुरेशचन्द पुत्र भोलाराम जाति भावसर निवासी गंगधार थाना गंगधार

गैरसायल..

इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत।

उपस्थित :

1 सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी

2 गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री रामबिलास राठौर

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

1 यह इस्तगासा थानाधिकारी गंगधार द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़ राजस्थान गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत सुरेशचन्द पुत्र भोलाराम जाति भावसर निवासी गंगधार थाना गंगधार के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।

2 संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी गंगधार द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा गैरसायल सुरेशचन्द आ0 भोलाराम जाति भावसर निवासी गंगधार के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 562 दिनांक 24.02.2020 द्वारा इस्तगासा न्यायालय इस आशय का पेश किया गया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके विरूद्व थाना गंगधार जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :–

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	[illegible]	प्रकरणों की स्थिति
1	183/18.10.2011	13 आ[illegible]जीओ	100/– [illegible]
2	17/20.01.2016	13 आ[illegible]जीओ	50/– [illegible]
3	96/05.06.2018	13 आरपीजीओ	100/– जुर्माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:53:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दु:साहसी, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है, इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

3 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गेर सायल की ओर से वकील श्री रामबिलास राठौर द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया । प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

4 पेरोकार सरकार द्वारा अंपनी बहस में इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गैर सायल अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दु:साहसी, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

5 वकील गैर सायल द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किये गये जवाब को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि गैर सायल एक गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, गैर सायल ने उसके विरूद्व दर्ज प्रकरणों को स्वीकार कर, इस्तगासे के जुर्म को स्वीकार किया। अब वह शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, अब भविष्य में कभी भी अपराध नही करेगा। गैर सायल की परिस्थितियों को देखते हुए नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण ड्राप फरमाने की कृपा करें

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) में गुण्डा शब्द को परिभाषित किया गया है उक्त धारा के खण्ड (V) में उपबन्धित अनुसार राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (13 आरपीजीओ) के अधीन 2 से अन्यून बार दोष सिद्व व्यक्ति "गुण्डा" अभिप्रेत है। हस्तगत प्रकरण में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि गैर सायल के विरूद्व कुल 3 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ में दण्डनीय दर्ज हुए है, जिनमें सभी में गैर सायल को दोष सिद्व कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया है । अतः इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों एवं गैर सायल के द्वारा जुर्म स्वीकार करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:33:46 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर इस्तगासा स्वीकार किया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

8 **आदेश**

सुरेश चन्द पुत्र भोलाराम जाति भावसर निवासी गंगधार को दिनांक 01.03.2021 से 90 दिन (दिवस) के लिए जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे गैरसायल पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रतिदिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। थानाधिकारी गंगधार गैर सायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा की सीमाओ में पहूँचाने की व्यवस्था करें।

थानाधिकारी थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा गैर सायल की उनके यहॉ उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवायेगे। निष्कासन की अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा, गैर सायल के वापस लौटने की सूचना थानाधिकारी गंगधार जिला झालावाड़ एवं इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट झालावाड/कोटा एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड़/कोटा को दी जावे।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:53:46 IST
Reason: SelfAttested

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़